प्रेस विज्ञप्ति

14.10.2024

प्रवर्तन निदेशालय, श्रीनगर जोनल कार्यालय ने जम्मू-कश्मीर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2012 (जेकेसीईटी-2012) में मेडिकल प्रश्न पत्र लीक मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत श्रीनगर और उसके आसपास के स्थानों पर सज्जाद हुसैन भट, मोहम्मद अमीन गनी, सुहैल अहमद वानी और शब्बीर अहमद डार की 1.31 करोड़ रुपये (लगभग) की चार अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है।

ईडी ने जम्मू कश्मीर पुलिस की अपराध शाखा द्वारा बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन (बीओपीईई) के तत्कालीन अध्यक्ष मुश्ताक अहमद पीर और अन्य के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला कि बीओपीईई के तत्कालीन अध्यक्ष मुश्ताक अहमद पीर, फारूक अहमद इटू, सज्जाद हुसैन भट, मो. जेकेसीईटी 2012 के लीक प्रश्नपत्रों की बिक्री में अमीन गनी, सुहैल अहमद वानी, शबीर अहमद डार और अन्य शामिल थे। जेकेसीईटी-2012 के प्रश्नपत्र बेचकर उन्होंने 2.50 करोड़ रुपये की अपराध आय अर्जित की और उसका इस्तेमाल किया। उपर्युक्त व्यक्तियों सहित सभी अभियुक्तों को विशेष भ्रष्टाचार निरोधी न्यायालय, श्रीनगर द्वारा एल ई ए मामले में दोषी ठहराया गया है।

इससे पहले, ईडी ने बीओपीईई के तत्कालीन अध्यक्ष मुश्ताक अहमद पीर की 60 लाख रुपये (लगभग) की चल और अचल संपत्तियों को कुर्क किया था। तत्पश्चात्, उसके विरुद्ध अभियोजन शिकायत के माध्यम से आरोप पत्र दायर किया गया था और यह माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), श्रीनगर के समक्ष लंबित है।

****